न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला–दौसा (राज0)

प्रकरण संख्या– 7/2020 : दिनांक रजू 04–11–2020
पीठाशीन अधिकारी : मोहर सिंह मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

जगन लाल पुत्र रमसी जाति गुर्जर निवासी ग्राम इन्दावा तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

(अपीलांट)

बनाम्

1. कन्हैया पि0 रमसी
2. रेवडया पि0 रमसी
3. बबलू पि0 रामधन
4. छोटू पि0 रामधन
5. अनिता पुत्री रामधन
6. लछमा पत्नी रामधन
7. सांवल्या पुत्र रमसी

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम इंदावा तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

8. राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार तह0 लालसोट जिला दौसा।

(रेस्पोडेन्ट्स)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 215 ग्राम इंदावा तहसील लालसोट जिला दौसा दिनांक 20–12–1978

उपस्थितः–अपीलांट की ओर से :– श्री देवीसिंह एडवोकेट
रेस्पो0 1,2,7 की ओर से :– श्री राजेश कुमार शर्मा एडवाकेट
रेस्पो0 सं03 से 6 की से :– श्री प्रकाश चन्द शर्मा एडवोकेट निर्झरना वाले

निर्णय

दिनांकः– 01.07.22

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 215 ग्राम इंदावा तहसील लालसोट दिनांक 20–12–1978 इस आशय की प्रस्तुत की गई कि चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण में वर्णित भूमि ख0नं0 140, 141, 142, 144, 145, 468/143 स्थित ग्राम इंदावा की खातेदारी पूर्व में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं01, 2, 7 के पिता व 3, 4, 5 के बाबा रमसी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी उक्त रमसी की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट्स ने आपस में साजकर अपने आप को रमसी का पुत्र बतला कर अपीलाधीन नामन्तकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया तथा ग्राम पंचायत राजौली द्वारा रमसी के वारिसान की जांच नहीं कर अवैध रूप से प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट स्व. रमसी का जायन्दा पुत्र है इसलिए रेस्पोडेन्ट के साथ

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

साथ उसका भी उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा है। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक रमसी के वारिसान की जांच नहीं की गई तथा मनमाने तरीके से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को स्वीकृत कर दिया जो एबिनिश्यू बाईड होने के कारण प्रथमतः ही निरस्तनीय है। उक्त अपील के साथ देरी माफी हेतू धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की नकल दिनांक 28–10–2020 को प्राप्त होने पर अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की जानकारी हुई कि नामान्तकरण में अपीलांट का नाम नहीं है। इसलिए जानकारी से उक्त अपील अंदर मियाद पेश है तथा एबिनिश्यू बाईड नामान्तकरण आदेश करने के लिए समय सीमा बाधित नहीं है। ऐसी स्थिति मे उक्त देरी माफी कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को अस्वीकार कर पुनः स्व. रमसी के सम्पूर्ण वारिसान की जांच कर विधिवत् नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतू तहसीलदार लालसोट को प्रति प्रेषित करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जारी की गई तथा मूल नामान्तकरण तलब किया गया। तदुपरान्त बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट बहस में तर्क दिया कि चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण का स्वीकृत नामान्तकरण से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि कानूनन चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण से पूर्व विधिक वारिसान एवं प्रभावित पक्षकारान को सूचित कर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अपीलांट को नामान्तकरण की अपील दिनांक 28–10–2020 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई। इस संबंध में अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2002 पेज 108 श्रीमती श्योबाई बनाम् शिम्यू, आर.बी.जे. 1998 पेज 43 रतन लाल बनाम् श्रीमती रामकन्या प्रस्तुत किये गये। चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण एबिनिश्यू बाईड हैं जिसके आधार पर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। क्योंकि एबिनिश्यू बाईड नामान्तकरण को चुनौती देने के लिए समय सीमा बाधित नहीं है।

रेस्पोडेन्ट सं01,2,7 के अधिवक्ता ने लिखित बहस में तर्क दिया कि चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की 43 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है। तथा अपील को देरी से पेश करने का कोई संतोष जनक कारण अंकित नहीं किया गया। अपील पेश करने में देरी क्षम्य योग्य नहीं है। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. टी. 2011 (2) पेज 851 बंशीलाल बनाम् एक्जीटिव ऑफिसर, आर.

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

आर.टी.2015(1) पेज 435 जगदीश इण्डस्ट्रीज बनाम् रीको, आर.आर. टी. 2010(2) पेज 801 सुखदेव प्रसाद बनाम् ओमप्रकाश प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज करने के साथ अपील को खारिज किया जावे। रेस्पोडेन्ट सं03, 4, 5, 6 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं की।

बहस पर मनन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। बहस में वकील रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अपीलांट स्व. रमसी का पुत्र है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया जबकि वह स्व. रमसी का रेस्पोडेन्ट्स के साथ साथ विधिक नैसर्गिक वारिस है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये निष्कर्ष के अनुसार चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण एबीनिश्यू बाईड हैं उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रार्थना पत्र पूर्णतया से चस्पा होते है जबकि रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त में भिन्न भिन्न तथ्य होने के कारण इस प्रार्थना पत्र पर चस्पा नहीं होते है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार कर अपील को मियाद में शुमार की जाती है।

बहस मूल नामान्तकरण अपील सुनी गयी। अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया हैं कि स्व. रमसी के अपीलांट स्वयं, कन्हैया, रेवडया, रामधन, सांवल्या पुत्र है। रामधन की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके रेस्पोडेन्ट सं03 लगायत 6 वारिसान है। स्व. रमसी की मृत्यु के उपरांत स्व. रमसी के वारिसान का नामान्तकरण उस समय केवल कन्हैया, रेवडया, रामधन, सांवल्या के नाम स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलांट भी स्व. रमसी का पुत्र हैं उसके नाम नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा न तो वारिसान की विस्तृत जांच की गई तथा न ही अपीलांट को चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इसलिए उक्त नामान्तकरण आदेश एबीनिश्यू बाईड हैं इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को निरस्त कर पुनः स्व. रमसी के वारिसान की जांच कर तदानुसार नामान्तकरण खोलने हेतू प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रति प्रेषित करे। रेस्पोडेन्ट सं01, 2, 7 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट भी स्व. रमसी का पुत्र है। परन्तु उसकी सहमति से उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया था यदि उसको आपत्ति थी तो उसे ग्राम पंचायत में आपत्ति करनी चाहिए थी अपीलांट ने अब अन्य रेस्पोडेन्ट सं03 लगायत 6 के बहकावे में आकर उक्त अपील प्रस्तुत की है। इसलिए उक्त अपील को खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि यह सही हैं कि अपीलांट स्व. रमसी का पुत्र हैं परन्तु उसने अब अपील प्रस्तुत की हैं। यदि अपील स्वीकार कि जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य हैं कि अपीलांट स्व. रमसी का पुत्र हैं क्योंकि इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्वीकार किया गया है। जहां तक रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण के स्वीकार करने की सहमति प्रदान की थी परन्तु इस संबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य नहीं हैं जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का कथन हैं कि उसने नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व आपत्ति क्यो नहीं की तो इस संबंध में पत्रावली संलग्न मूल नामान्तकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता हैं कि चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अपीलांट कैसे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता? इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण आदेश विधि सम्मत नहीं हैं तथा विधि प्रक्रिया अनुसार अवैध हैं इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 215 ग्राम इंदावा तहसील लालसोट निरस्त किया जाकर पुनः स्व. रमसी के वारिसान की जांच कर विधि सम्मत नामान्तकरण की कार्यवाही हेतू उक्त नामान्तकरण को तहसीलदार लालसोट को प्रेषित किया जाता हैं। निर्णय की प्रति नामान्तकरण पंजिका के साथ तहसीलदार लालसोट को नामान्तकरण की अविलम्ब कार्यवाही हेतू प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01-07-22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

उपजिला कलेक्टर
लालसोट